राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005
(दूरभाष नं0:—0141—2740837, फैक्स:— 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः— एफ.4(ई)(पी—3358) / अलेसे—III / 1522-29 दिनांक:— 09.12.2022

कार्यालय आदेश

श्रीमती पूनम मीणा (लिंक नं. 12374) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोषाधिकारी, चौमू जिला—जयपुर को पूर्व पदस्थापित कार्यालय न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मेडता जिला—नागौर के आदेश क्रमांक 39 दिनांक 19.11.2019 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा **(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)** नियम—1958 के नियम—17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही में 03 वार्षिक वेतन वृद्धि 02 वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

निदेशालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण करने पर श्रीमती पूनम मीणा के विरूद्ध सिद्ध किया गया लापरवाही का आरोप उचित प्रतीत नहीं होने एवं उक्त दण्डादेश दिनांक 19.11.2019, राजस्थान सिविल सेवा **(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)** नियम—1958 के नियम—19—ख के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं निर्धारित प्रकिया के अनुरूप नहीं होने के कारण उपरोक्त दण्डादेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.4(ई)(पी—3358) / अलेसे—III / 1522-29 दिनांक:— 09.12.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मेडता जिला नागौर।
2. उपकोषाधिकारी, चौमू जयपुर।
3. श्रीमती पूनम मीणा कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषाधिकारी, चौमू जयपुर।
4. उपविधि परामर्शी (जॉच) कार्यालय हाजा।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. पदस्थापन सीट / निजि / रक्षित पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II / III)